

## अंचल अधिकारी का कार्यालय, गोविन्दपुर

आम्लेख वाद संख्या- 18/20-21 (11)

प्रिमांक	आदेश फलक	अभियुक्ति
03/09/2020	वाद का प्रकार—बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जॉच एंव कार्रवाई से संबंधित।	
	<p>झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक—2074/रा०, दिनांक—13.05.2016 सहपठित— श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक, भू—अर्जन—सह—विशेष सचिव, राजस्व एंव भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या—3—खाना०म०निति—119/85/2308/रा०, दिनांक—03.09.1985 एव सह—पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या—914/रा०, दिनांक—09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरुआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जॉच प्ररभ की गयी। जॉच के कम में हल्का राजस्व कर्मचारी एंव अ०नि० द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :—</p> <p>मौजा—.....२३०४०४१६..... थाना नं—.....५१..... खाता संख्या—.....६९..... प्लॉट    संख्या—.....१०४३..... रकबा—.....१०६५..... एकड़ की भूमि जो गैरमजरुआ खास, अनाबाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि हैं, जिसकी जमाबंदी खास, अनाबाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के जिल्द संख्या—.....१..... के पृष्ठ संख्या—.....१३९..... पर उस मौजा के पंजी—II के जिल्द संख्या—.....१..... के नाम से जमाबंदी रैयत .....१०५१ (पंजी) .....पिना—६११ (१०५१) .....माँगी के नाम से कायम है।</p> <p>हल्का कर्मचारी एंव अंचल निरीक्षक द्वारा जॉचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।</p> <p>हल्का कर्मचारी एंव निरीक्षक द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है, कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोवस्ती के आधार पर/अवैध कोड़कर बंदोवस्ती के आधार पर/अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसकी उघेश्य निजी लाभ एंव राज्य को क्षति कारित करना है।</p> <p>प्रथम दृष्ट्या उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की, जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसकी बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जॉच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।</p> <p>अतएव संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू—खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण—पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।</p> <p>अभिलेख दिनांक—.....१३/०९/२०२०..... को उपस्थापित करें।</p> <p style="text-align: right;">अभिलेख दिनांक—.....१३/०९/२०२०..... को उपस्थापित करें।</p> <p style="text-align: right;">अंचल अधिकारी गोविन्दपुर</p>	

19/9/2020

जानकी राजपत्रिया, महेश लक्ष्मी कुमार, विक्रम सिंह और अन्यादि  
विद्युत विभागीय विद्युत के दाता समूहों से अलग हिस्सी उत्तर एवं दक्षिण  
राज्यों विद्युत विभाग और विद्युत विभागीय विद्युत विभाग।

अत लक्षण जायादी को अदैध ग्रामते हुए इसे विहार (आरस्कृष्ण) शूमि सुखार अभियन्त्र  
१९५८ की घास (पी) के लक्षण जायादी को इस लक्षणे हेतु अनुशंसा की जाती है। अदैध  
कारंयाहू हेतु अभियन्त्र सूल में भग्नि ग्रामत लक्षणजायादी को खेजें।

१३९/२०

## संदिग्ध/ संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जॉच प्रतिवेदन

1. संदिग्ध/ संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :- गोप्ता शशि कुमार  
पर्ण लाला शशि कुमार
2. जमाबंदी सं संबंधित भूमि का विवरण :-  

मौजा	थाना नं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
साक्षीवाड़	४७	६९	१०४३	१.६५ एकड़ी
3. जमाबंदी पंजी-II के जिल्द संख्या..... १ ..... पृष्ठ सं०-..... १३९ ..... पर कायम है-
4. जमाबंदी किस वर्ष कायम है- १९६४-६५
5. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खातेदार का नाम :- गोप्ता शशि कुमार
6. किस सक्षम प्राधिकार/ पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है :- भाष्टर ८/५८८
7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित हैं तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :-
8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अनिवार्यता सादा हुकुमनामा/ लगान निर्धारण / अवैध भूदंदोवस्ती) - भाष्टर ८/५८८
9. संदेहास्पद जमाबंदी की जॉच किस राजस्व अभिलेख से की गई (भूतपूर्व जमीदार द्वारा दाखिल रिटर्न/ बन्दोवस्ती पंजी/ लगान निर्धारण पंजी/ भू-हस्तांतरण पंजी) पंजी ११ घे  
भाष्टर ८/५८८
10. संदेहास्पद जमाबंदी में अंकित लगान रसीद संख्या एवं वर्ष -

कम संख्या                    लगान रसीद संख्या                    रसीद निर्गत तिथि                    वसूली वर्ष

अंकित संख्या/ लगान रसीद संख्या:

उपरोक्त संख्या १०४३ पंजी के अंकित गोप्ता शशि कुमार द्वारा दाखिल रिटर्न द्वारा दाखिल हुए  
मंवाइत्र पंजी में जमाबंदी संख्या १३९ दर्शक है। अधिकारी शशि कुमार  
भाष्टर ८/५८८ के गोप्ता शशि कुमार १९६४-६५ अंकित है। उक्त अमावस्या (१८/११/१९६४)  
- दर्पद अंकित हो गया है।  
कृत: अमावस्या २५/११/१९६४ करना हुआ अग्रवर अंकित है।